न्यायालय सहायक कलक्टर जमवारामगढ जिला जयपुर (राज0)

फर्द अहकाम

रामकरण बनाम दाखां देवी वगैरह

वाद संख्या......62......./2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
29.04.2022	यह प्रकरण वादी की ओर से जरिये वकील महेश शर्मा पेश किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो, प्रस्तुत तलवाना नोटिस द्वारा तलबी प्रतिवादी होकर पत्रावली दिनांक 10.06.2022 को पेश हो।
10/6/22	आज दिनांक 10/6/22 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कलमबंद/ कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नही की जा सकी। पीओ सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/8/22 को पेश हो।
29/8/22	पत्रावली पेश [illegible] पक्षकार प्रार्थी उप. पत्रावली [illegible] तलबी/ जवाब दिनांक 24/11/22 को पेश हो।
24/11/22	पत्रावली पेश हुई. अधिवक्ता संघ द्वारा कलमबंद/ कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/1/23 पेश हो।
10/1/23	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता संघ द्वारा कलमबंद/ कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/4/23 पेश हो।
3-3-2023	पत्रावली आज वादी द्वारा विड्रो प्रार्थना पत्र जरिये एडवोकेट प्रस्तुत करने पर तलब की गई शिनाख्त पहचान वकील ने की। वादी ने विड्रो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य विवाद नहीं होने के कारण विचाराधीन वाद को आगे नहीं चलाना चाहते है। अत: विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद को विड्रो कर खारिज किया जावे/ वादी को विड्रो प्रार्थना पत्र सुना जाकर विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादी को वाद विड्रो करने की स्वीकृति दी जाती है अत: वादी का वाद विड्रो कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

रामकरण

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जमवारामगढ जयपुर